न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 104/2021 बउनवानी हीरालाल महावर बनाम लो.सू.अधि.एवं उपजिला कलेक्टर मलारना डूंगर मकान नम्बर 23, संतोष नगर, पुरोहित नगर के पास कोटा–324002

GCMS No-2021/298

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिश्यिल जज
15.12.2021	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर मलारना डूंगर की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु माह 07/.2021 को लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर मलारना डूंगर के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः–

1. माननीय राजस्व न्यायालय उपजिला कलेक्टर मलारना डूंगर मे विचाराधीन प्रकरण संख्या 233/2017 हीरालाल बनाम सावलिया व अन्य मे प्रार्थी के द्वारा दिनांक 25.2.2020 को फर्द सूची के साथ दस्तावेज प्रस्तुत किये थे। उक्त फर्द सूची के साथ प्रस्तुत समस्त दस्तावेज मय फर्द सूची की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावे।
2. माननीय राजस्व न्यायालय उपजिला कलेक्टर मलारना डूंगर मे विचाराधीन प्रकरण संख्या 233/2017 हीरालाल बनाम सावलिया व अन्य की सम्पूर्ण आर्डरशीट की प्रति।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर मलारना डूंगर सिटी द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर मलारना डूंगर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर मलारना डूंगर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस कमांकःसूकाअ/2021/3035 दिनांक 13.12.2021 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र माह 7/.2021 के बिन्दु संख्या 1 व 2 की सूचना के लिए प्रतिलिपि शुल्क राशि 794/–रू जमा कराने बाबत जरिये पत्रांक/सूकाअ/ 2540 दिनांक 26.8.2021 एवं 2686 दिनांक 12.10.2021 एवं जरिये पत्रांक 3034 दिनांक 13.12.2021 से अपीलान्ट को लिखा जा चुका है किन्तु अपीलान्ट द्वारा अभी तक शुल्क जमा नही करवाने के कारण सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

अपीलान्ट द्वारा अपनी आपत्ति जरिये मेल प्रेषित कर निवेदन किया किया शुल्क जमा करवाने बाबत कोई पत्र प्राप्त नही हुआ है इसलिए निःशुल्क सूचना उपलब्ध करवायी जावे।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत माह 7/2021 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 व 2 की सूचना के लिए प्रतिलिपि शुल्क राशि 794/–रू जमा कराने बाबत जरिये पत्रांक/सूकाअ/2540 दिनांक 26.8.2021 एवं 2686 दिनांक 12.10.2021 एवं पत्रांक 3034 दिनांक 13.12.2021 से अपीलान्ट को लिखा जा चुका है किन्तु अपीलान्ट द्वारा अभी तक शुल्क जमा नही करवाया गया है। अतः अपीलान्ट को निर्देशित किया जाता है कि वह निर्धारित शुल्क जमा करवाकर वांछित सूचनाएं उपजिला कलेक्टर मलारना डूंगर के न्यायालय से प्राप्त करे। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2022.01.17 18:00:48 IST
Reason: SelfAttested

(राजेन्द्र किशन)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर